न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल ,जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : सर्वेश शर्मा R.A.S.
लम्बित वाद संख्या : 89/2025

लक्ष्मण बनाम छोटू वगै0

दायर तारीख : 11.06.2025

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थित :– श्री राजकुमार यादव अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी 01
श्री रामसिंह अधिवक्ता वादी /अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक :– 24.11.2025

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. का निर्णय किया जा रहा है।

2. प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त में वाक्यात इस प्रकार है की वादी ने न्यायालय में आराजी खसरा नम्बर 152/1 ग्राम रेनवाल तहसील कि0 रेनवाल के संबंध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। उक्त खसरा नम्बर के संबंध में एक पूर्व वाद पत्र उनवानी शांति देवी बनाम चौखाराम वगै0 वाद संख्या 81/24 बाबत तकासमा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का वादीया शांति देवी द्वारा पेश कर टी0आई0 में एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिया गया जिसमें वादी लक्ष्मण प्रतिवादी–9है, और जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। जिसे मान्य न्यायालय द्वारा 7 नियम 11 धारा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत खारिज कर दिया गया । वाद संख्या 81/2024 में वर्णित खसरा नम्बर 152/1 वाके ग्राम रेनवाल का तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का एक पूर्व वाद पत्र उनवानी बनवारी बनाम लक्ष्मण वगै0 वाद संख्या 06/2018 का न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक जिला जयपुर के समक्ष वादी बनवारीलाल व हंसराज द्वारा पेश किया गया था जो वाद संख्या 81/2024 में प्रतिवादी संख्या 5 व 10 प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 है पूर्व वाद संख्या 06/2018 में लक्ष्मण प्रतिवादी संख्या 1 तथा वाद संख्या 81/2024 में प्रतिवादी संख्या 9 है तथा पूर्व वाद पत्र संख्या 06/2018 में बाद तामिल प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किये गये। पूर्व वाद संख्या 06/2018 में प्राथमिक डिक्री /निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2018 को पारित किया जा चूका है और वाद संख्या 6/2018 में प्रस्तुत पटवारी मौका रिपोर्ट वा प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.06.2018 की पालना में प्रस्तुत नक्शें कुर्रेजात पर प्रतिवादी लक्ष्मण के हस्ताक्षर है इस प्रकार वादी लक्ष्मण को वाद संख्या 06/2018 की बखुबी जानकारी है। उक्त प्राथमिक डिक्री की अपील उनवानी वाद के प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में अपील संख्या 637/18 उनवानी छोटू बनाम बजरंग वगै0 प्रस्तुत की गई जिसमें पक्षकार वादी लक्ष्मण वाद तामिल अनुपस्थित रहा। उनवानी अपील वर्तमान में विचाराधीन है। जिसके साथ पूर्व वाद पत्र संख्या 06/2018 की पत्रावली शामिल है उनवानी वाद के प्रार्थी/प्रतिवादी छोटू ने मान्य न्यायालय में खसरा नम्बर 149 के साथ दौराने

उपखण्ड अधिकारी

[illegible] से खसरा नम्बर 152/1 को अभिलिखित करते हुए वाद [illegible]
26/2024 [illegible] के स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर दिया [illegible]
बाद [illegible] उपस्थित आये और प्रति
संख्या 5 की ओर से धारा 10 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश हुआ
प्रार्थी/वादी छोटू ने आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्र
कर वाद पत्र में संशोधन की अनुमति प्राप्त कर संशोधन करवाया तथा
संख्या 81/2024 में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त तथ्यों नुसार प्रार्थना
अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 धारा 151 सी0पी0सी0 का पेश किया गया
मान्य न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वादीया वाद मय टी0आई खारिज कर दि
गया तो धन्नाराम ने मिन प्रतिवादी द्वारा उनवानी वाद शांति बनाम धीरखाराम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश करते
चालाकी से सरासर झूंठे तथ्यों पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नासिक महारा
होने की दिनांक 18.10.2024 का झूठा वाद हेतूक बनाकर उनवानी
धन्नाराम बनाम छोटू बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर टी0आई0
अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिया गया तथा लक्ष्मण ने धन्नाराम
व शांति व अन्य भूमाफिया लोगों के साथ अपने आपराधिक षडयंत्र
अनुसरण में मिन प्रतिवादी छोटू के कब्जे काश्त की भूमि हडप करने
आपराधिक आशय से चालाकी से सरासर झूंठे तथ्यों पर प्रतिवादी संख्या 2
3 के नासिक महाराष्ट्र होने की दिनांक 05.06.2025 का झूठा वाद हेतुक
बनाकर उनवानी वाद लक्ष्मण बनाम छोटू बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर
दिया और मान्य न्यायालय द्वारा वाद संख्या 81/2024 अन्तर्गत आदेश 7 नियम
11 सी0पी0सी में खारिज कर दिया गया तथा धन्नाराम बनाम छोटू में प्रार्थी/
प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के पेश
करने के बाद धन्नाराम ने मान्य न्यायालय के प्रार्थना पत्र में आदेश करने से
पूर्व विड्रा कर अपने आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में मु0नम्बर 27/2025 का
शांति देवी द्वारा लिये स्टे के दौरान ही तहसील महोदया को उक्त स्टे आदेश
से अवगत करवाये बिना शांति देवी ने धन्नाराम, लक्ष्मण व अन्य भूमाफिया लोगों
के अपने उक्त आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में भगवान सहाय को जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उक्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया
तो मिन प्रतिवादी ने तहसीलदार महोदय को उक्त स्टे आदेश से अवगत
करवाकर जमाबन्दी में स्टे आदेश दर्ज करवा दिया तो भगवान सहाय का
स्वामित्व रहा क्यों कि शांति देवी ने रजिस्ट्री करवा दी और भगवान सहाय के
नाम नामान्तकरण तस्दीक नहीं हुआ तो उक्त आवेश में आ गये और उक्त भूमि
खसरा नम्बर 152/1 पर मान्य न्यायालय का मु0 नम्बर 27/2025 का स्टे
होने के बावजूद दिनांक 12.06.2025 को उक्त लोगों अन्य नामालूम भू माफिया
बदमाशों के साथ एकराय कर तथा छोटू के घर के सदस्यों की रैंकी कर जैसे
ही छोटू के परिवार के सभी पुरूष सदस्य घर से बाहर गये तो अचानक उक्त
लोग हथियारों से लेस होकर समय करीबन 11.30 ए.एम बजे छोटू की
तारबन्दीसुदा कब्जे काश्त हिस्से की उक्त उपजाउ विकसित भूमि में स्कॉर्पियो
गाडी नम्बर आर0जे0 14 यु.ए.–7806 क्रेटा गाडी नम्बर आर जे 41 सी.ए. 7806,
एक बिना नम्बरी ब्लेक सीसे की जे.सी.बी. मशीन व 4–5 मोटर साईकिलों से
20–25 बदमाश बिना किसी स्वामित्व अधिकार के तारबन्दी तोडकर घुसे और
मानव व जीवों के पानी पीने की टंकी , ट्रेक्टर की ट्रॉली , चार पाई, पट्टी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

कातले , टीन शेड , कमरा तथा जो भी सामान मिला उसकी जे0सी0बी0 से ताबडतोड तोडफोड करने लगे तो तोडफोड की आवाजे सुनकर छोटू की पौती भागकर उक्त भूमि पर गई तो बदमाश अश्लील गाली गलोच करते हुये छोटू की पौती की और भागकर आने लगे तो छोटू की पौती वापस भागकर जाने लगी तो ईतने में एक नामालूम बदमाश ने छोटू की पौती के हाथों को पकड लिया और बदमाश उक्त बदमाश को छोटू की पौती गाडी पटकने के लिए आवाज देने लगे तो उक्त बदमाश छोटू की पौती को गाडियों की तरफ ले जाने लगा और एक बदमाश हाथ में देशी कट्टे को लहराते हुये छोटू की पौती को भयभीत करने लगा तो छोटू की पौती डर गई और झपटा देकर उक्त बदमाश से छूडाकर भाग आई और अपने पिता को फोन करवाया तो बदमाश उक्त आराजीयात में जो भी मिला उसकी सम्पूर्ण की तोडफोड कर तथा एक फावडा , एक खुवाडिया व एक जैली जो भी मिला अपनी गाडियों में डालकर उक्त भूमि में स्थित छप्पर के आग लगाने लगे ईतने में पुलिस थाना रेनवाल की गाडी के आने की सूचना सुनकर देर बदमाश देर रात को 200 गुंडों के साथ हथियारों से लगस होकर धनबल से अपना कब्जा करने व किसी बीच में आने पर खुनी संघर्ष होने की धमकिया देते हुये अपनी गाडियों से स्टंट करते हुये फरार हो गये । उक्त आपराधिक कृत्य में छोटू की पौती के हाथों पर चोटे कारित हुई है तथा उक्त भूमि में पट्टी कातले, तारबन्दी, चार पाई, मानव, जीवों के पानी पीने की टंकी, ट्रेक्टर की ट्राली , टीनशेड आदि लगभग 300000/-रूपये की सम्पति का नुकसान हो गया। जिसकी छोटी की पौती द्वारा एफ.आई.आर. नम्बर 200/2025 पुलिस थाना रेनवाल मे दर्ज करवाई गई जो दौराने अनुसंधान है। इस प्रकार वाद संख्या 06/2018 , वाद संख्या 25/2024 , उनवानी लक्ष्मण बनाम छोटू वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा तथा अपील संख्या 637/18 के जरियें पक्षकार लक्ष्मण को उनवानी वाद संख्या 81/2024 के खसरा नम्बर 152/1 के एक ही प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय के बारे में बखुबी जानकारी है इसके बावजूद दौराने अपील पक्षकार धन्नाराम ने विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 152/1 में से बिना तकासमा करवाये वाद संख्या 81/2024 की वादीया शांति देवी को भूमि बेचान कर सहखातेदार बनया और मिन प्रतिवादी के कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर अपना अवैध कब्जा करने के दुषित आशय से कभी धन्नाराम तो कभी वादिया शांति देवी तो कभी वादी लक्ष्मण मान्य न्यायालय को भ्रम में रखकर बदनियति से झूंठे तथ्यों पर वाद पेश कर तथा स्थगन आदेश प्राप्त कर मिन प्रतिवादी की कब्जे काश्त की भूमि पर अपना अवैध कब्जा करने के दुषित आशय से हैरान परेशान कर मान्य न्यायालय का किमती समय नष्ट कर रहे है। वादी लक्ष्मण को उपरोक्तानुसार राजस्व अपील संख्या 637/18 के विचारण के संबंध में बखुबी जानकारी है इसके बावजूद उनवानी वाद में तथ्यों को छिपाते हुये वाद संख्या 81/2024 , वाद संख्या 06/2018 वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, धन्नाराम बनाम छोटू वगै0, शांति देवी बनाम छोटू वगै0 तथा उनवानी वाद लक्ष्मण बनाम छोटू वगै0 के प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य के सम्बन्ध में तथा उन्ही पक्षकारों व पक्षकारों से व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन पक्षकारों के बीच उनवानी वाद लक्ष्मण बनाम छोटू वगै0 मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जो विधि द्वारा वर्जित है। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी विवादग्रस्त सम्पति के संबंध में जितने भी विवाद्य है उन सभी के संबंध में एक ही वाद किया जा

सकता है। बार बार एक ही सम्पति के संबंध में नया विवाद्य बना कर वाद किया जाना वर्जित है वादी मान्य न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं है और मान्य न्यायालय से विधि की प्रक्रिया का दुरूपयोग कर खेल रहा इसी प्रकार एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को बिना तकारामा का वाद किये पाबंद नहीं करवा सकता है। क्यो कि बिना आराजी तकारामा प्र सहखातेदार का ईन्च ईन्च पर हक अधिकार होता है तथा वादी ने वाद प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को कुसंयोजित किया है। जो कि वाद में व आराजीयात में सहखातेदार नहीं है और नासिक महाराष्ट्र में सालों सहपरिवार निवास कर आजीविका कमा रहे है। उनवानी वाद में वादी ने अ सहखातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया जो वाद में वर्णित आराजीयात हितबद्ध पक्षकार है और बिना विभाजन ईन्च ईन्च पर हक व अधिकार रखते इस प्रकार वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

3. जिसमें नकल प्रा0 पत्र वादी अधिवक्ता को दिलावायी गई। अप्रार्थी/वाद अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थना पत्र के सभी कथनो को कानूनी व गलत बताया तथा अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि विवादग्रस्त आराजीयात का वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा हेतू वाद पेश किया है। वादी का विवादग्रस्त आराजीयात में हित निहित है जो साक्ष्य सबतू पेश करने के उपरान्त ही न्यायालय के समक्ष साबित होंगे। वाद में वास्तविक तथ्य सुनवाई के दौर जवाब दावा व साक्ष्य सबुत पेश करने के पश्चात ही वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष आ सकती है। इसलिये इस स्टेज पर वाद खारिज किये जाने योग्य नहीं है इसलिये वाद विधि अनुसार आदेश 7 नियम सपठित धारा 151 जा0दी0 के अन्तर्गत खारिज नहीं हो सकता है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

4. प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्राढपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा बिना किसी वाद कारण उत्पन्न होने के वाद पेश किया है। पूर्व में भी वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में उनवानी वादी शांति देवी बनाम चोखाराम बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया गया जिसे न्यायालय में पेश किया था जिससे प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश किया गया जिस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया गया था। वादी लक्ष्मण को उपरोक्तानुसार राजस्व अपील संख्या 637/18 के विचारण के संबंध में बखुबी जानकारी है इसके बावजूद उनवानी वाद में तथ्यों को छिपाते हुये वाद संख्या 81/2024 , वाद संख्या 06/2018 वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, धन्नाराम बनाम छोटू वगै0, शांति देवी बनाम छोटू वगै0 तथा उनवानी वाद लक्ष्मण बनाम छोटू वगै0 के प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य के सम्बन्ध में तथा उन्ही पक्षकारों व पक्षकारों से व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन पक्षकारों के बीच उनवानी वाद लक्ष्मण बनाम छोटू वगै0 मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जो विधि द्वारा वर्जित है। वादी ने वाद में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को कुसंयोजित किया है। जो कि वाद में वर्णित आराजीयात में सहखातेदार नहीं है और नासिक महाराष्ट्र में सालों से सहपरिवार निवास कर आजीविका कमा रहे है। उनवानी वाद में वादी ने अन्य सहखातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया जो वाद में वर्णित आराजीयात में हितबद्ध पक्षकार है और बिना विभाजन ईन्च ईन्च पर हक व अधिकार रखते है। इस प्रकार वादी

न्यायालय अखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ़-रेनवाल

अखण्ड अधि...
...गढ़ रेनवाल

...ा वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद मय खर्चा आदेश 7 ...यम 11 घ, 11 ड़ व धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत खारिज फरमाया जाए। ...पने प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया तथा पत्रावली ...ा अवलोकन किया। वाद पत्रावली अवलोकन व मनन बहस से ज्ञात होता है ...के प्रकरण में सी0पी0सी0 1908 के आदेश 7 नियम 11 का उद्धरण यहा प्रासंगिक है। जो निम्नानुसार है:–

(क) जहॉ वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है:

(ख)जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है और वादी मूल्याकंन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग)जहा दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहॉ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता कि कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(ड) जहॉ वह दो प्रतियों में फाईल नहीं जाता है,

(च)जहा वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है:

6. इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित स्थापित न्यायिक दृष्टतों का अवलोकन भी अनिवार्य है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 14807/2024 उनवान मुकुन्द भवन ट्रस्ट &ors. Vs श्रीमंत छत्रपति उदयन राजे प्रतापसिंह महाराज भोंसले &ors. में दिनांक 20.12.2024 को दिए गए निर्णय में सी0पी0सी0 1908 आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग के परीक्षण के संबंध में दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है जिसमें प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

24 "Cause of action" means every fact which would be necessary for the plaintiff to prove, if traversed, in order to support his right to judgment. It consists of a bundle of material facts, which are necessary for the plaintiff to prove in order to entitle him to the reliefs claimed in the suit.

24.1 In Swamy Atmanand vs sri Ramakrishan Tapovanam this court held: " A casuse of action, thus, means every fact, which if traversed , it would be necessary for the plaintiff to prove an order to support his right to a judgment of the court . In other words, it is a bundle of facts, which taken with the law applicable to them gives the plaintiff a right ot relief against the

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

defendant. It must include some act done by defendant since in thee absence of such an act, no caus action can possibly accrue. It is not limited to tha act infringement of the right sued on but includes all material facts on which it is founded"

7. प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादकारण उत्पन्न न होने के आधार पर वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। वा द्वारा प्रस्तुत वाद के समग्र अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी वादग्रस्त रिकोर्डेड सहखातेदार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त है प्रार्थी/प्रतिवादी –01 भी वादग्रस्त आराजी के रिकोर्डे सहखातेदार है। वादी द्वारा दिनांक 05.06.2025 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी की हिस्से की आराजी की सींवमेड तोडकर कब्जा करने एंव प्रतिवादीगण को धमकी देने के कारण अपने दर व अधिकारों की सुरक्षा के लिए कथन किया गया है। हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा बिना विभाजन का अनुतोष चाहे सहखातेदार/प्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद कराने का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार है तथा सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है जिसे बिना विभाजन का अनुतोष चाहे स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद नहीं किया जाता है।बिना विभाजन का अनुतोष चाहे वादी/अप्रार्थी द्वारा काल्पनिक वादकारण के आधार पर वाद पेश किया गया है। उर्पुक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि वाद वाद कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 01 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 24/11/25 को सुनाया गया।

(सर्वेश शर्मा) आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेनवाल

लक्ष्मण बनाम छोटू वगै0
वाद पत्र संख्या 89 / 25

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
अदालत :– उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल
इजलास :– सर्वेश शर्मा आर.ए.एस.

लक्ष्मण बनाम छोटू वगै0

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं0 89 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजकुमार यादव व हाजरी श्री रामसिंह मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थी / प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी. साबित होने पर वादी का वाद .खारिज किए जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। निज ....–....... मुबलिग.......–......... बाबत्.....–...... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.........–........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........–........का अदा करे। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 11 सन् 25 को जारी की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ-रेनवाल

(सर्वेश शर्मा) आर0ए0स0
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना अधिवक्ता	–	–
महन्ताना अधिवक्ता	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान			मीजान		